



MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN)  
UNIVERSITY, (BHOPAL)



म.प्र. भोज [मुक्त] विश्वविद्यालय, भोपाल

बी. एड. एवं डी. एड.  
काउंसिलिंग-2017

म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय बी.एड. एवं डी.एड. - 2017 काउंसिलिंग प्रक्रिया एवं अर्हताएँ

**काउंसिलिंग प्रक्रिया :-**

**चरण 1 : विद्यार्थियों का पंजीकरण एवं च्वाइस फिलिंग**

(सफलतापूर्वक पंजीकरण एवं च्वाइस फिलिंग कर लेने के पश्चात अभ्यर्थी पंजीयन एवं च्वाइस फिलिंग की रसीद प्राप्त करेंगे । च्वाइस फिलिंग ऑनलाइन भुगतान करने के पश्चात ही लॉक होंगी । पंजीयन शुल्क रु 200 + GST 18 % केवल पोर्टल चार्ज पर देय होगा)

**चरण 2 : अध्ययन केन्द्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन**

(अध्ययन केन्द्र उन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे जिन्होंने पंजीकरण तथा च्वाइस फिलिंग का भुगतान कर दिया है तथा अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की पावती (slip) प्रदान की जाएगी ।)

**चरण 3 : सीट आवंटन (Seat Allotment)**

(जिन अभ्यर्थियों ने अध्ययन केन्द्रों द्वारा अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवा लिया है उनकी च्वाइस के आधार पर सीट का आवंटन किया जाएगा ।)

**चरण 4 : आवंटन पत्र (Allotment Slip) प्रिंट करना**

(अभ्यर्थी अपने सीट आवंटन की स्थिति को ध्यानपूर्वक देखकर आवंटन पत्र का प्रिंट प्राप्त करें ।)

**चरण 5 : अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित अध्ययन केन्द्र पर रिपोर्ट करना**

(रिपोर्टिंग के समय अध्ययन केन्द्र विद्यार्थियों को रिपोर्टिंग स्लिप प्रदान कर उनका प्रवेश सुनिश्चित करेंगे ।)

**चरण 6 : ऑनलाइन शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) जमा करना**

(विद्यार्थियों केवल ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा एम. पी. ऑनलाइन अधिकृत कियोस्क द्वारा) शिक्षण शुल्क जमा कर अपना प्रवेश सुनिश्चित करेंगे । शिक्षण शुल्क + पोर्टल चार्ज रु 100 + GST 18 % केवल पोर्टल चार्ज पर देय होगा ।)



# MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, (BHOPAL)

सत्यापन हेतु दस्तावेजों की सूची :-

बी.एड. काउंसिलिंग हेतु :

क्र.	दस्तावेज़	यदि अनिवार्य है (हाँ / नहीं)	टिप्पणी (Remark)
1	10 वीं की अंकसूची	हाँ	यदि अभ्यर्थी 10वीं की अंकसूची प्रस्तुत नहीं करता / करती है तो वह काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होगा/होगी।
2	12 वीं की अंकसूची	हाँ	यदि अभ्यर्थी 12वीं की अंकसूची प्रस्तुत नहीं करता/करती है तो वह काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होगा/होगी।
3	न्यूनतम अर्हतादायक दस्तावेज़ : क्या आप सेवा शिक्षक (in service teacher) के रूप में नियमित रूप से प्रशिक्षित हैं (डी.एल. एड./ डी.एड./ बी.टी.आई./ डी.पी.ई.) अथवा आपने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कोई फेस-टू-फेस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से पूर्ण किया है।	हाँ	यदि अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं तो वह काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे।
4	स्नातक अंकसूची	हाँ	स्नातक अंकसूची के अभाव में, अभ्यर्थी काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे।
5	स्नातकोत्तर अंकसूची	यदि उपलब्ध हो तो	यदि उपलब्ध है तो, सत्यापन के समय प्रस्तुत करें।
6	शिक्षण अनुभव प्रमाण-पत्र (म.प्र. में कार्यरत स्कूल का नाम एवं पते सहित)	हाँ	शिक्षण अनुभव प्रमाण-पत्र के अभाव में, अभ्यर्थी काउंसिलिंग



7	जाति प्रमाण-पत्र ओबीसी / एससी/ एसटी (OBC/SC/ST) हेतु केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिए	हाँ	हेतु पात्र नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो म. प्र. के मूल निवासी संबंधी शर्तों को पूर्ण करते हो यदि वह ST/SC/OBC श्रेणी में आते हैं तो उन्हें सत्यापन के समय जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा वह अनारक्षित श्रेणी में माने जावेगे।
8	उप श्रेणी प्रमाण-पत्र (स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी (FF)/शारीरिक विकलांग (PH)/विधवा /सैनिक) (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिए)	हाँ	ऐसे अभ्यर्थी जो म. प्र. के मूल निवासी संबंधी शर्तों को पूर्ण करते हो यदि वह उप श्रेणी में आते हैं तो उन्हें सत्यापन के समय जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10	म.प्र. के मूल निवासी का प्रमाण-पत्र	हाँ	म.प्र. के मूल निवासी प्रमाण-पत्र के बिना अभ्यर्थी म.प्र. से बाहर के आवेदक के रूप में माना जाएगा।
11	आधार कार्ड की कॉपी	हाँ	दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान वास्तविक आधार कार्ड की कॉपी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
12	फोटो का सत्यापन	हाँ	फॉर्म में प्रदर्शित फोटो का सत्यापन दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी के साथ किया जाएगा



डी.एड. काउंसिलिंग हेतु :


क्र.	दस्तावेज़	यदि अनिवार्य है (हाँ/नहीं)	टिप्पणी (Remark)
1	10 वीं की अंकसूची	हाँ	यदि अभ्यर्थी 10वीं की अंकसूची प्रस्तुत नहीं करता/करती है तो वह काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होगा/होगी।
2	12 वीं की अंकसूची	हाँ	यदि अभ्यर्थी 12वीं की अंकसूची प्रस्तुत नहीं करता/करती है तो वह काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होगा/होगी।
3	स्नातक अंकसूची	यदि उपलब्ध हो तो	यदि उपलब्ध है तो, सत्यापन के समय प्रस्तुत करें।
4	स्नातकोत्तर अंकसूची	यदि उपलब्ध हो तो	यदि उपलब्ध है तो, सत्यापन के समय प्रस्तुत करें।
5	न्यूनतम अर्हतादायक दस्तावेज़ : न्यूनतम दो वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण-पत्र (म.प्र. में कार्यरत स्कूल का नाम एवं पते सहित)	हाँ	यदि अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं तो वह काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे।
6	म.प्र. में सेवारत होने का प्रमाण-पत्र (वर्तमान में मध्यप्रदेश में कार्यरत)	हाँ	म.प्र. में सेवारत होने के प्रमाण-पत्र के अभाव में, अभ्यर्थी काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे।
7	जाति प्रमाण-पत्र ओबीसी / एससी/ एसटी (OBC/SC/ST) हेतु केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिए	हाँ	ऐसे अभ्यर्थी जो म. प्र. के मूल निवासी संबंधी शर्तों को पूर्ण करते हैं यदि वह ST/SC/OBC श्रेणी में आते हैं तो उन्हें सत्यापन के समय जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा वह अनारक्षित श्रेणी में माने जावेगे।



8	उप श्रेणी प्रमाण-पत्र (स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी (FF)/शारीरिक विकलांग (PH)/विधवा /सैनिक)  (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिए)	हाँ	ऐसे अभ्यर्थी जो म. प्र. के मूल निवासी संबंधी शर्तों को पूर्ण करते हो यदि वह उप श्रेणी में आते हैं तो उन्हें सत्यापन के समय जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9	म.प्र. के मूल निवासी का प्रमाण-पत्र	हाँ	म.प्र. के मूल निवासी प्रमाण-पत्र के बिना अभ्यर्थी म.प्र. के बाहर से आवेदक के रूप में माना जाएगा।
10	आधार कार्ड की कॉपी	हाँ	दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान आधार कार्ड की कॉपी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
11	फोटो का सत्यापन	हाँ	फॉर्म में प्रदर्शित फोटो का सत्यापन दस्तावेज सत्यापन हेतु आए अभ्यर्थी के साथ किया जाएगा



मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के बी. एड. एवं डी. एड. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउन्सेलिंग प्रक्रिया





आवंटन पत्र (Allotment  
Letter)  
का प्रिंट प्राप्त करें

1. सीट आवंटन होने पर विद्यार्थी अपने आवंटन पत्र (Allotment Letter) का प्रिंट प्राप्त करें ।
2. आवंटन पत्र (Allotment Letter) का प्रिंट प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी अपना पंजीकरण क्रमांक एवं स्थायी पासवर्ड का प्रयोग करें ।

अध्ययन केंद्र में छात्र द्वारा  
रिपोर्टिंग

1. विद्यार्थी अपने आवंटित संस्थान में आवंटन पत्र (Allotment Letter) एवं समस्त उल्लेखित दस्तावेजों के साथ नियत समयवाधि में प्रस्तुत होकर रिपोर्टिंग करें ।
2. सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग होने के पश्चात विद्यार्थी संबन्धित संस्थान से रिपोर्टिंग स्लिप प्राप्त करें ।

रिपोर्टिंग पश्चात ऑनलाइन  
"Tution Fee" का भुगतान

1. सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग होने के पश्चात विद्यार्थी अपनी "Tution Fee" का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा एम. पी. ऑनलाइन अधिकृत कियोस्क के माध्यम से करें ।
2. विद्यार्थी भुगतान पश्चात भुगतान की रिसीप्ट अवश्य प्राप्त करें और यह सुनिश्चित करे की उनके द्वारा किया गया भुगतान सफल हो । शिक्षण शुल्क के साथ पोर्टल चार्ज रु 100 + GST 18 % केवल पोर्टल चार्ज पर देय होगा । भुगतान ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा एम. पी. ऑनलाइन अधिकृत कियोस्क के माध्यम से करें ।





MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN)  
UNIVERSITY, (BHOPAL)

## संपर्क विवरण

कस्टमर केयर (08:30 AM - 10:00 PM )

0755-4019400

URL:- <https://www.mponline.gov.in>,  
<https://mpbou.mponline.gov.in>